न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0ए0 केस नं0– 03/2021–22

जोसेफ मरण्डी उर्फ लखन मरण्डी बनाम् रैयान मौजा–मोहला

–: आदेश :–

23.09.2022

वर्तमान प्रधान बहाली की प्रक्रिया आवेदक जोसेफ मरण्डी उर्फ लखन मरण्डी, पे0–स्व0 नीमू मरण्डी, सा0–मोहल्ला, थाना–बोआरीजोर, अंचल–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा के आवेदन पर मौजा–मोहला नं0–66 के ग्राम प्रधान की मृत्यु के उपरान्त बहाली हेतु प्रारंभ किया गया है।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया ।

अंचल अधिकारी, बोआरीजोर ने अपने पत्रांक–447/रा0, दिनांक–16.06.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आवेदक जोसेफ मरण्डी उर्फ लखन मरण्डी, पे0–स्व0 नीमू मरण्डी पूर्व प्रधान के वंशज है, इन्हें प्रधान नियुक्ति हेतु अनुशंसा किया गया है। 16 आना रैयतों को आपत्ति दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। 16 आना रैयतों की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गई।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के प्रतिवेदन तथा अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकन के आधार पर आवेदक जोसेफ मरण्डी उर्फ लखन मरण्डी को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत मौजा–मोहला नं0–66 का ग्राम प्रधान नियुक्त किया जाता है।

नवनियुक्त ग्राम प्रधान को आदेश दिया जाता है कि वे खजाना कोषागार में जमाकर चालान की प्रति के साथ संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–7 के तहत कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे। अंचल अधिकारी, बोआरीजोर को सूचित करें।

अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

23.09.22

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

23.09.22

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Seen 01.11.22

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.04.17 15:11:47 +05:30
Location: 192.168.8.116

F/Order.